न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–105/2017

उनवान–सरकार बनाम राजेश कुमार अग्रवाल वगैरा (मै0गौरव मेडिकल एजेन्सीज स्टेशन रोड धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0एक्ट 2006 नियम 2011)

निर्णय दिनांक – 09.12.2017

आज यह पत्रावली राष्टीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी संख्या–1 राजेश कुमार अग्रवाल विक्रेता(गौरव मेडीकल एजेन्सीज स्टेशन रोड धौलपुर 2–गौरव मेडिकल एजेन्सीज स्टेशन रोड धौलपुर 3–विशाल अरोरा पार्टनर मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसिएटस कन्साइनी ऑफ स्मार्ट लैब प्रा0लि0 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर 4–अजय अरोरा पार्टनर मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसिएटस कन्साइनी ऑफ स्मार्ट लैब प्रा0लि0 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर 5–प्रेम अरोरा पार्टनर मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसिएटस कन्साइनी ऑफ स्मार्ट लैब प्रा0लि0 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर 6–मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसिएटस कन्साइनी ऑफ स्मार्ट लैब प्रा0लि0 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर 7–नीतेश एच. ताला डायरेक्टर मैसर्स स्मार्ट लैब प्रा0लि0 65,66 प्राइम एस्टेट–11 सरखेज बाबला रोड सरखेज अहमदाबाद 8–प्रवीन भाई रमानी डायरेक्टर मैसर्स स्मार्ट लैब प्रा0लि0 65,66 प्राइम एस्टेट–11 सरखेज बाबला रोड सरखेज अहमदाबाद 9–मैसर्स स्मार्ट लैब प्रा0लि0 65,66 प्राइम एस्टेट–11 सरखेज बाबला रोड सरखेज अहमदाबाद 10–कौशिक कुमार तुलसीदास पटेल डायरेक्टर/नोमिनी मैसर्स हैविट रेमेडीज प्रा0लि0प0न0 3476 फेश–4 जीआईडीसी छतराल–382729 तालुका कलोल जिला गांधीनगर गुजरात 11–मैसर्स हैविट रेमेडीज प्रा0लि0प0न0 3476 फेश–4 जीआईडीसी छतराल–382729 तालुका कलोल जिला गांधीनगर गुजरात के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में स्थित शो केस में रखे 210–210 ग्राम के 50 कम्पनी पैक सील्ड पैकेटस Vitaflow-z (Dietary Supplement) देखने पर मिलावट/मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से 12 डिब्बे प्रत्येक 210 ग्राम ज्यों के त्यों वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदे। अप्रार्थी ने उक्त Vitaflow-z (Dietary Supplement) आम जनता के विकय हेतु बताया गया। अप्रार्थी विकेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र वर्ष 2016 दिखाने को कहा तो उसने रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त Vitaflow-z (Dietary Supplement) नमूना डी–1159 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2016 के अनुसार उक्त Vitaflow-z (Dietary Supplement) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त Vitaflow-z (Dietary Supplement) का कय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 3लगा06 से कय करना बताया। अप्रार्थी संख्या 3लगा06 ने अग्रिम कय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 7लगा09 से कय किया जाना बताया तथा अप्रार्थी संख्या 7लगा09 ने अग्रिम कय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 10लगा011 से कय करना बताया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं 9लगा011 स्वंय उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण संख्या 9लगा011 ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त Vitaflow-z (Dietary Supplement) मिसब्राण्ड का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण Vitaflow-z (Dietary Supplement) मिसब्राण्ड बेचने के दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अधिकारी एवंअतिरिक्त

2017/00127

अतः अप्रार्थीगण राजेश कुमार अग्रवाल विक्रेता (गौरव मेडीकल एजेन्सीज स्टेशन रोड धौलपुर) वगैरा पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 10000/-रुपये (दस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)